रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 256] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 1986/कार्तिक 22, 1908
No. 256] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 1986/KARTIKA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1986

सार्वजनिक सूचना सं. 131 आई टी सी (पी एन)/85—88

विषय:— व्यक्तिगत असबाब के रूप में माल का आयात।

फा. सं. आई पी सी / 3/37/79.—व्यक्तिगत असबाब के रूप में माल के आयात के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 27—आई टी सी (पी एन)/80, दिनांक 15-7-1980 और सार्वजनिक सूचना सं. 44 आई टी सी (पी एन) / 80, दिनांक 17 नवम्बर, 1980 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. सार्वजनिक सूचना सं. 44—आई टी सी (पी एन)/80, दिनांक 17 नवम्बर, 1980 द्वारा यथा संशोधित 27—आई टी सी (पी एन)/80 दिनांक 15-7-1980 के पैरा 3, 4 और 5 को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"3. एक गैर-पर्यटक यात्री को भी बिना किसी आयात लाईसेंस के, परन्तु सीमा शुल्क का भुगतान करने पर उसके निजी प्रयोग के लिए या परिवार के प्रयोग के लिए व्यक्तिगत या घरेलू सामान (अग्न्यस्त्रों को छोड़कर) की किसी भी मद को उसके असबाब के भाग के रूप में आयात करने की अनुमति दी जा सकती है।

4. भारतीय मूल का एक पर्यटक चाहे उसके पास भारतीय या विदेशी पास पोर्ट हो जो सामान्यत: विदेश में रहता हो उसे आयात लाईसेंस के बिना, परन्तु सीमा शुल्क चुकाने पर उसके असबाब के भाग के रूप में व्यक्तिगत या घरेलू सामान (अग्न्यस्त्रों को छोड़कर) की किसी भी मद को मित्रों या सम्बन्धियों को उपहार या यादगार के रूप में देने के लिए आयात करने की अनुमति दी जा सकती है।

5. उपर्युक्त रियायतों की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि सीमा शुल्क का उपयुक्त अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि मदों का आयात यात्री या उसके परिवार के वास्तविक उपयोग के लिए या उपहार या यादगार के रूप में देने के लिए है और वह इस शर्त के अधीन है कि ये मदें न तो बेची जाएंगी और न बेचने के लिए प्रदर्शित या विज्ञापित की जाएगी या दी जाएगी और न दुकान में रखी जाएंगी जब तक कि:—

(क) टी. वी. के मामले में, जब तक कि वे ऐसे व्यक्ति, अथवा यात्री अथवा वायुयान दल के सदस्य द्वारा निकासी की तिथि से कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रयोग न कर ली गई हों, अथवा

(ख) अन्य माल के मामले में जब वह माल नया था उस समय के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत से कम का बाजार मूल्य में ह्रास हो गया हो"

3. यह संशोधन लोक हित में किए गए हैं।

राजीव मोहन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

New Delhi, the 13th November, 1986

PUBLIC NOTICE NO. 131-ITC (PN) /85—88

Subject : Import of goods as personal baggage.

File No. IPC/3/37/79-Pt.—Attention is invited to Ministry of Commerce Public Notice No. 27-ITC (PN)/80 dated the 15th July, 1980 and Public Notice No. 44-ITC (PN) /80 dated the 17th November, 1980 pertaining to import of goods as personal baggage.

2. Paragraphs 3, 4 and 5 of Public Notice No. 27-ITC (PN) /80 dated 15th July, 1980 as amended by Public Notice No. 44-ITC (PN) /80 dated the 17th November, 1980 shall be substituted by the following :—

"3. A non-tourist passenger may also be allowed to import as a part of his baggage, without an import licence, but on payment of customs duty any items of personal or household effects (except fire arms), for his own use or for use of his family.

4. A tourist of Indian origin whether holding an Indian Passport or a foreign passport who is normally a resident abroad, may be allowed to import, as a part of his baggage without an import licence, but on payment of Customs duty any items of personal or household effects (except fire arms) for presentation as gifts or souvenirs to friends and relatives.

5. The above concessions may be allowed provided the proper officer of the customs is satisfied that the items are being imported for bona fide use of the passenger or his family or for making a gift or souvenir, as the case may be, and subject to the condition that they shall not be sold, displayed, advertised or offered for sale or displayed in a shop until :

(a) in the case of TV, it has been used for a period of not less than five years from the date of clearance by such person, or passenger or member of the crew, or

(b) in the case of other goods, when the market price is depreciated to less than 50 per cent of their market price when new."

3. This amendment is made in the public interest.

R. L. MISRA, Chief Controller of Import & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986